उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,

राज्य नियोजन संस्थान, (नवीन भवन)

कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007

संख्या 2053 / यू.पी.–रेरा / प्रशा. / 2023–24 दिनांकः 05 / 03 / 2024

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि प्राधिकरण की विभिन्न पीठों में लम्बित अधिकांश शिकायतों में शिकायतकर्ता द्वारा सह–आवंटी का नाम शिकायतकर्ता के रूप में संयोजित नहीं किया गया है। अतः ऐसी समस्त लम्बित शिकायतों के शिकायतकर्ता को ई–मेल के माध्यम से यह सूचना प्रेषित किया जाना उचित होगा कि जिन आवंटियों को सह–आवंटी के साथ कोई भी यूनिट आवंटित की गयी है किन्तु सह–आवंटी का नाम शिकायतकर्ता के रूप में संयोजित नहीं किया गया है, उन सभी शिकायतों में सह–आवंटी का नाम भी शिकायतकर्ता के रूप में संयोजित करना सुनिश्चित करें। उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित शिकायतकर्तागण द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उनको पोर्टल पर एडिट का ऑपशन उपलब्ध कराया जाना होगा।

उक्त आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाये।

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा. अध्यक्ष, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को अवलोकनार्थ कृपया।
2. समस्त मा. सदस्यगण, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को अवलोकनार्थ कृपया।
3. मा. न्यायनिर्णायक अधिकारी, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
4. प्रमुख सलाहकार, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
5. विधि सलाहकार, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
6. संयुक्त सचिव / उप सचिव, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
7. सहायक निदेशक (सिस्टम) / सिस्टम एनालिस्ट, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
8. उ.प्र. रेरा मुख्यालय लखनऊ तथा क्षे.कार्या. ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर की मा. पीठों से आवद्ध समस्त कार्मिकों को अनुपालनार्थ प्रेषित।

(उमा शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव